[2021] 11 एस सी आर 275

भारत और अन्य का संघ।

बनाम

राम बहादुर यादव

(2010 की सिविल अपील सं. 9334)

26 नवंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

सेवा कानून:

रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987: आर. 161 कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया-कारणों को दर्ज करने के लिए नियम का अधिदेश तथ्यों पर, इस आरोप पर कि हेड कांस्टेबल ने मुख्य आरोपी के साथ मिलकर लगभग 1 करोड़ रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों की चोरी की साजिश रची थी-बिना किसी कारण का संकेत दिए बर्खास्तगी आदेश के साथ अनुशासनात्मक जांच को पारित किया गया

सिपाही के खिलाफ आरोप बताने के अलावा जांच को समाप्त करने के लिए-उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया अपनाकर अनुशासनात्मक उपाय के रूप में आदेश पारित करना। 161 स्वयं कारणों को दर्ज करना अनिवार्य करता है-बल के एक नियमित सदस्य को बर्खास्त करना, एक कठोर उपाय है। 161 जो बल के किसी सदस्य के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने का निर्देश देता है, उसे नियमित और यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मजबूर करने वाले और वैध कारण न हों-केवल बर्खास्तगी के क्रम में नियम की भाषा को दोहराने से आदेश वैध नहीं होगा, जब तक कि जांच को समाप्त करने के लिए वैध और पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं जब नियम कारणों को दर्ज करने का आदेश देता है, तो आदेश को ही जांच के साथ आदेश देने के कारणों का खुलासा करना चाहिए-शब्द 'नहीं'

'जैसा कि नियम में उपयोग किया गया है, उचित रूप से व्यवहार्य' को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि किसी दी गई स्थिति में, साधारण और विवेकपूर्ण व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में, यह व्यवहार्य नहीं है-तत्काल मामले में, जांच को समाप्त करने और आर का आह्वान करने का कोई वैध कारण प्रतीत नहीं होता है। 161 - वापस मजदूरी के अनुदान के संबंध में, इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में 50 प्रतिशत पिछले वेतन का अनुदान न्यायसंगत और उचित है।

11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 आर के पढ़ने से। 161 रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक उपाय के रूप में एक आदेश पारित करने के लिए, कुछ उपयोगों में विशेष प्रक्रिया अपनाकर, नियम 161 स्वयं कारणों की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है। जांच करने के लिए सामान्य नियम आर. पी. एफ. नियमों के नियम 132,148 और 153 द्वारा शासित होता है। यदि अधिकारी विशेष प्रक्रिया का आह्वान करते हैं, जब तक वे कारणों को दर्ज नहीं करते, जैसा कि नियम में ही विचार किया गया है, नियम 161 को लागू करके कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। किसी भी समय, अपीलकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए फाइल प्रस्तुत नहीं की है कि ऐसी फाइल में भी कोई कारण दर्ज किया गया है। यह एक तय कानूनी स्थिति है कि जब नियम विशेष प्रक्रिया को अपनाने के तरीके और तरीके पर विचार करते हैं, तो अधिकारियों की ओर से नियम का सख्ती से पालन करके ऐसी शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य है। बल के एक नियमित सदस्य को बर्खास्त करना एक कठोर उपाय है। नियम 161, जो एक जांच के साथ वितरण और बल के सदस्य के खिलाफ आदेश पारित करने का निर्देश देता है, को नियमित और यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मजबूर करने वाले और वैध कारण न हों। बर्खास्तगी आदेश जांच को समाप्त करने के लिए किसी भी कारण का संकेत नहीं देता है, सिवाय इसके कि प्रतिवादी ने गैर-न्यायिक स्टाम्प कागजात की चोरी के लिए अन्य हेड कांस्टेबल के साथ मिलीभगत की थी। केवल बर्खास्तगी के क्रम में नियम की भाषा को दोहराकर,

आदेश को वैध नहीं बनाते हैं, जब तक कि जांच को समाप्त करने के लिए वैध और पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं। जब नियम

आदेश में कारणों को दर्ज करने का आदेश दिया गया है, उसी आदेश में जांच करने के कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए। यह निवेदन कि यदि फाइल में कारण हैं, तो यह आदेश बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जांच नहीं की जाती है, तो बल के सदस्य को अनुशासनात्मक उपाय के रूप में कोई भी आदेश पारित करने से पहले जांच करने के कारणों को जानने का अधिकार है। प्रतिवादी प्रासंगिक समय के दौरान केवल एक हेड कांस्टेबल था और वह शक्तिशाली स्थिति में नहीं था, ताकि यह कहा जा सके कि अगर जांच की जाती तो वह गवाहों को प्रभावित करता या धमकी देता। यह तथ्य कि उन्होंने गोपनीय जांच की है, अपीलार्थियों के इस रुख को गलत साबित करता है कि ऐसा नहीं था

एक जांच आयोजित करने के लिए उचित रूप से व्यावहारिक। शब्द 'नहीं' जैसा कि नियम में उपयोग किया गया है, उचित रूप से व्यवहार्य है, इसे समझना होगा।

इस तरह से कि एक दी गई स्थिति में, भारत और भारत का सामान्य और विवेकपूर्ण मानव संघ।

वी. राम बहादुर यादव

इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में, यह व्यवहार्य नहीं है। तत्काल मामले में, जांच को समाप्त करने और नियमों के नियम 161 को लागू करने का कोई वैध कारण प्रतीत नहीं होता है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है। [पैरा 9] [281-सी-एच; 282-ए-सी]

1.2 वापस मजदूरी देने के संबंध में, जब तक आदेश एकल न्यायाधीश, प्रतिवादी द्वारा पारित किया जाना था

सामान्य तौर पर, जांच करने की अनुमति दी गई होगी, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, यह न्यायालय इस स्तर पर ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि यह आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने मुख्य आरोपी के साथ मिलकर लगभग 1 करोड़ रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागजात की चोरी की साजिश रची थी, लेकिन अपीलकर्ताओं को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए एक पुलिस शिकायत भी दर्ज नहीं की गई थी। वापस मजदूरी का अनुदान

यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तत्काल मामले में, प्रतिवादी को अपने मामले का बचाव करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी संदेह की मात्रा को सबूत के बराबर नहीं माना जा सकता है। पिछले वेतन का 50 प्रतिशत अनुदान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित है। उच्च न्यायालय ने पिछले वेतन का 50 प्रतिशत सही ढंग से दिया है।

उत्तरदाता। विवादित में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश [पैरा 11,13] [282-ई, एफ-एच; 283 ए-बी, सी, डी-ई]

दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम। क्रांति जूनियर अध्याय महाविद्यालय (डी. एड) और अन्य (2013) 10 एस. सी. सी. 324

: [2013] 9 एस. सी. आर. 1-निर्भर।

सहदेव सिंह और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य

(2003) 9 एस. सी. सी. 75; तारसेम सिंह बनाम। पंजाब राज्य और अन्य (2006) 13 एस. सी. सी. 581; पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्य बनाम। जय भगवान (2011) 6 एससीसी 376: [2011] 7 एससीआर 558; जसवंत सिंह बनाम। पंजाब और अन्य राज्य (1991) 1 एस. सी. सी. 362: [1990] 3 पूरक। एससीआर 354; एम/एस। हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्रा. सीमित वी। कर्मचारीगण

एम/एस। हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (1979) 2 एस. सी. सी. 80 [1979] 1 एस. सी. आर. 563-संदर्भित।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

(2003) 9 एससीसी 75

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(2006) 13 एस. सी. सी. 581

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2011] 7 एससीआर 558

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 पूरक। एससीआर 354

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2013] 9 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[1979] 1 एससीआर 563

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9334

2010 से।

उच्च न्यायालय के 07.04.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 की विशेष अपील No.230 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में न्यायिक कार्य।

सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, पीयूष बेरीवाल, सुश्री निधि खन्ना,

सुश्री रीना पांडे, अमरीश कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रतीक यादव, अंकुर यादव, कृष्ण कुमार

यादव, मित्र राव, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. यह दीवानी अपील फैसले और आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।

दिनांक 07.04.2009, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की विशेष अपील No.230 में पारित। उपरोक्त आदेश द्वारा, अपीलार्थियों द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपील को प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया जाता है।

2. यहाँ प्रतिवादी में हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था

रेलवे सुरक्षा बल। उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच में, उन पर 1 करोड़ रुपये से अधिक के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागजात की चोरी की घटना में मुख्य आरोपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने यह कहते हुए कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था, प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करते हुए दिनांक 22.10.1998 का आदेश पारित किया है। उनके द्वारा दायर अपील और पुनरीक्षण खारिज हो गया। जब उक्त आदेशों पर सवाल उठाया गया, तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय और आदेश दिनांक 17.02.2009, भारत और ओ. आर. एस. के संघ द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी।

वी. राम बहादुर यादव [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

सभी के भुगतान के निर्देश के साथ बर्खास्तगी आदेश को अलग करके

पेंशन लाभ और पिछले वेतन का 50 प्रतिशत। उक्त आदेश प्रत्यर्थी के रूप में पारित किया गया था-कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है। जब उक्त आदेश को अंतर-न्यायालय अपील के माध्यम से चुनौती दी गई, तो वह खारिज हो गया। इसलिए, यह सिविल अपील।

3. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री एस. आर. सिंह को सुना है।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 का नियम 161 (इसके बाद, 'आर. पी. एफ. नियम' के रूप में संदर्भित) अधिकारियों को जांच करने का अधिकार देता है, जहां सक्षम प्राधिकारी का विचार है कि यह नहीं है

एक जांच आयोजित करने के लिए उचित रूप से व्यावहारिक। यह तर्क दिया जाता है कि आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अपराधी कर्मचारी ने उन गवाहों को धमकी दी है जो जांच में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, अधिकारियों ने नियम 161 लागू किया है और आदेश पारित किए हैं। यह आगे है

सिंह और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 1. वापस मजदूरी देने के खिलाफ, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने तारसेम सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। पंजाब राज्य और अन्य 2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं, इसलिए उसके पक्ष में कोई वेतन नहीं दिया जाना था। रिलायंस को दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी. एड.) और अन्य 3 और पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्य के मामले में भी बनाम। उनके तर्क के समर्थन में जय भगवान।

1 2003 (9) एससीसी 75

22006 (13) एस. सी. सी. 581

32013 (10) एस. सी. सी. 324 42011 (6) एससीसी 376 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. आर. सिंह ने नियम 161 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

आर. पी. एफ. नियम और प्रस्तुत किया कि उक्त नियम को लागू करके इस तरह के आदेश को पारित करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम में ही कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, बिना किसी कारण को दर्ज किए पारित आदेश कानूनी जांच के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप है कि उसने अन्य हेड कांस्टेबल के साथ साजिश रची।

गैर-न्यायिक डाक टिकट पत्रों की चोरी अस्पष्ट है और जांच को समाप्त करने का कोई आधार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी सजा से पहले जांच का संचालन एक सामान्य नियम है और आर. पी. एफ. नियमों के नियम 161 को केवल असाधारण मामलों में लागू किया जा सकता है, लेकिन नियमित तरीके से नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब नियम स्वयं कारणों की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है, तो दूसरे पक्ष का तर्क कि यदि फाइल में कारण हैं तो यह पर्याप्त है, आदेश को बनाए रखने के लिए कोई आधार नहीं है। विद्वान वरिष्ठ सलाहकार प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होकर जसवंत सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पंजाब राज्य और अन्य।

7. हमने पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

8. प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही आर. पी. एफ. नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होती है। बल के सदस्य के खिलाफ नियमित जांच आर. पी. एफ. नियमों के नियम 132,148 और 153 द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवादी प्रासंगिक समय पर केवल एक हेड कांस्टेबल था। आरोप उसके खिलाफ यह है कि उसने गैर-न्यायिक स्टाम्प कागजात की चोरी के लिए श्री जय वीर सिंह नाम के एक अन्य हेड कांस्टेबल के साथ साजिश रची और सांठगांठ की। कथित घटना 17/18 सितंबर 1998 को हुई थी और आर. पी. एफ. नियमों के नियम 161 को लागू करके जांच को समाप्त करके 22 अक्टूबर 1998 को प्रतिवादी के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था। आर. पी. एफ. नियमों का नियम 161 स्वयं कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया का संकेत देता है।

आर. पी. एफ. नियमों के नियम 161 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" 161. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया:

इन नियमों में कहीं भी निहित कुछ भी होने के बावजूद

((i) जहां बल के किसी नामांकित सदस्य को आचरण के आधार पर कोई सजा दी जाती है, जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; या

5 1991 (1) एस. सी. सी. 362 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. राम बहादुर यादव [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

((ii) जहां दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट किया जाता है कि इस तरीके से जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है।

इन नियमों में दिया गया है;

((ग) जहां राष्ट्रपति का यह समाधान हो कि राज्य की सुरक्षा और बल में अखंडता बनाए रखने के हित में, इन नियमों में दिए गए तरीके से कोई जांच करना समीचीन नहीं है;

सजा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश दे सकता है।

जैसा कि यह उचित लगता है।

9. उपरोक्त नियम को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कुछ विशेष प्रक्रियाओं को अपनाकर अनुशासनात्मक उपाय के रूप में आदेश पारित करना।

मामलों में, नियम 161 स्वयं कारणों की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है। जांच करने के लिए सामान्य नियम आर. पी. एफ. नियमों के नियम 132,148 और 153 द्वारा शासित होता है। यदि अधिकारी विशेष प्रक्रिया का आह्वान करते हैं, जब तक कि वे कारण दर्ज नहीं करते हैं, जैसा कि नियम में ही विचार किया गया है, तो कोई आदेश नहीं दिया जा सकता था।

नियम 161 का आह्वान करके पारित किया गया। किसी भी समय, अपीलकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए फाइल प्रस्तुत नहीं की है कि ऐसी फाइल में भी कोई कारण दर्ज किया गया है। यह एक तय कानूनी स्थिति है कि जब नियम विशेष प्रक्रिया को अपनाने के लिए विधि और तरीके पर विचार करते हैं, तो अधिकारियों की ओर से इसका प्रयोग करना अनिवार्य है।

नियम का सख्ती से पालन करके ऐसी शक्ति। बल के एक नियमित सदस्य को बर्खास्त करना एक कठोर उपाय है। नियम 161, जो एक जांच के साथ वितरण और बल के सदस्य के खिलाफ आदेश पारित करने का निर्देश देता है, को नियमित और यांत्रिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मजबूर करने वाले और वैध कारण न हों। 22.10.1998 दिनांकित बर्खास्तगी आदेश ऐसा करता है

यह कहने के अलावा कि प्रत्यर्थी ने गैर-न्यायिक डाक टिकट पत्रों की चोरी के लिए अन्य हेड कांस्टेबल के साथ सांठगांठ की थी, जांच करने का कोई कारण नहीं बताया। केवल बर्खास्तगी के क्रम में नियम की भाषा को दोहराने से, आदेश वैध नहीं होगा, जब तक कि जांच को समाप्त करने के लिए वैध और पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं। जब नियम कारणों को दर्ज करने का आदेश देता है, तो उसी आदेश को जांच करने के कारणों का खुलासा करना चाहिए। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क कि यदि फाइल में कारण हैं, तो यह आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, अस्वीकृति के योग्य है। जब जांच नहीं की जाती है, तो बल के सदस्य को अनुशासनात्मक रूप से कोई भी आदेश पारित करने से पहले जांच करने के कारणों को जानने का अधिकार है।

माप। प्रतिवादी संबंधित [2021] 11 एस. सी. आर. के दौरान केवल एक हेड कांस्टेबल था।

समय के बिंदु पर और वह शक्तिशाली स्थिति में नहीं था, ताकि यह कहा जा सके कि उसने गवाहों को प्रभावित किया होगा या धमकी दी होगी, अगर जांच की गई होती

आयोजित किया गया। यह तथ्य कि उन्होंने गोपनीय जांच की है, अपीलार्थियों के इस रुख को गलत साबित करता है कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। नियम में उपयोग किए गए 'उचित रूप से व्यवहार्य नहीं' शब्दों को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि किसी दी गई स्थिति में, साधारण और विवेकपूर्ण व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में, यह व्यवहार्य नहीं है। वर्तमान मामले में, जांच को समाप्त करने और नियमों के नियम 161 को लागू करने का कोई वैध कारण प्रतीत नहीं होता है। हम अंदर हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ सहमति। सहदेव के मामले में

सिंह और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 1, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निष्पक्ष जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं था, इसलिए इसे मामले के तथ्यों पर न्यायोचित माना गया था। जाँच करना व्यवहार्य है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और आरोप की प्रकृति आदि के संदर्भ में विचार करने का विषय है।

10. तारसेम सिंह बनाम के मामले में निर्णय में। पंजाब राज्य और अन्य 2, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जब प्राधिकरण

इस राय के कि जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है, इस तरह के निष्कर्ष को प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि पर दर्ज किया जाएगा, और यह वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। उपरोक्त मामले में, आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जांच को समाप्त करने के कारणों को सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

11. वापस मजदूरी देने के लिए अपीलकर्ताओं की याचिका के संबंध में, इस न्यायालय ने तारसेम सिंह 2 के मामले में यह निर्णय दिया है कि

मजदूरी जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी। वर्तमान मामले में, जब तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किया गया, तब तक प्रतिवादी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था। सामान्य तौर पर, हमने रखने की अनुमति दी होगी

जाँच, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, हम इस स्तर पर ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी ने मुख्य अभियुक्त के साथ मिलकर लगभग 1 करोड़ रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागजात की चोरी की साजिश रची थी, लेकिन अपीलकर्ताओं को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए एक पुलिस शिकायत भी दर्ज नहीं की गई थी। पिछले वेतन के अधिनिर्णय का विरोध करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दीपाली गुंडू सुरवास 3 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

वी. राम बहादुर यादव [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। उपरोक्त मामले में, निपटते समय

मजदूरी के अनुदान के साथ, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सेवा की गलत समाप्ति के मामले में, सेवा की निरंतरता और मजदूरी की वापसी के साथ बहाली सामान्य नियम है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस पर विचार करेगा।

कर्मचारी की सेवा की अवधि, दुराचार की प्रकृति, नियोक्ता की वित्तीय स्थिति और इसी तरह के अन्य कारकों पर विचार करें। मामले की बात करें तो प्रतिवादी को अपने मामले का बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी मात्रा में संदेह

इसे प्रमाण के बराबर नहीं माना जा सकता है। दीपाली गुंडू सुरवासे 3 के मामले में इस न्यायालय के फैसले में अनुपात को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि पिछले वेतन का 50 प्रतिशत अनुदान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित है। अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह किसी भी तरह से उनके मामले का समर्थन नहीं करेगा। 12. दूसरी ओर, एम/एस के मामले में। हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्रा. सीमित वी। मेसर्स के कर्मचारी। हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्राइवेट

सीमित और अन्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पूर्ण या आंशिक रूप से पिछले वेतन के साथ बहाली न्यायाधिकरण के विवेक का विषय है।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने पिछले वेतन का 50 प्रतिशत सही ढंग से दिया है।

उत्तरदाता। 14. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं। तदनुसार, इस दीवानी अपील को खारिज कर दिया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

याचिका

खारिज कर दी गई।

निधि जैन

6 (1979) 2 एससीसी 80